तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो./2021/901/बीकानेर** **निगरानी/कोलो./2021/902/बीकानेर** **खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/01/26	**एकल–पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** ––––– **उपस्थित :** श्री अजीत लोढ़ा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी। श्री प्रदीप विश्नोई, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1. अप्रार्थी संख्या–2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। ––––– **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी याचिकायें राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि के आवंटन व विक्रय नियम, 1975 की धारा 23(2) के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 118/2017 व 119/2017 बउनवानी खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08–02–2021 के विरूद्ध पेश की गई है। उपरोक्त निगरानी याचिकाओं में विवाद विषयवस्तु, पक्षकार, प्रश्नगत भूमि समान होने व निगरानीधीन आदेश भी समान होने से इस आदेश के माध्यम से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। 2– निगरानी याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के समक्ष चक 1 डीएलएसएम मुरब्बा नं. 93/36 की 25 बीघा अन कमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु आवेदन पेश किया। विपक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा भी उक्त विवादित भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 29–11–2016 को कर दिया। इसके विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या–118/2017 व 119/2017 पेश की जिन्हें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08–02–2021 से खारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी याचिकाएं मण्डल में पेश की हैं। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र एवं हस्तगत निगरानी के गुणावगुण पर सुनी गई। 4– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो./2021/901/बीकानेर** **निगरानी/कोलो./2021/902/बीकानेर** **खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष मौजूद आवंटन की संपूर्ण पत्रावली, राजस्व अभिलेख, कानूनी स्थिति को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने चक 1 डीएलएसएम तहसील छतरगढ़ के मुरब्बा नं. 93/36 रकबा 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन में आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे तथा प्रार्थी की प्रथम वरीयता बनती थी क्योंकि प्रार्थी दामोलाई का स्थायी व मूल निवासी है व प्रार्थी के पूर्वज भी ग्राम दामोलाई में निवास करते थे व आज भी निवासरत है। अप्रार्थी संख्या 1 की प्रथम वरीयता नहीं बनती है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम दूधवाखारा जिला चुरू का स्थायी व मूल निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पास ग्राम दूधवाखारा तथा तहसील छतरगढ़ व खाजूवाला में कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा धारित है के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करते उक्त तथ्यों को छुपाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी सूरत में आवंटन कराने का पात्र नहीं था। आवंटन अधिकारी ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की वरीयता का निर्धारण सही रूप में नहीं किया। यदि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सैम केटेगरी नियम 7 के मुताबिक बनती तो आवंटन अधिकारी सेम कैटेगरी के आधार पर उक्त भूमि को नियमों के अनुसार बोली के तहत् आवंटन करते जिससे राज्य सरकार को लाखों रूपयों की आय होती परंतु आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी को फायदा पहुंचाने की गरज से नियमों के विपरीत उक्त आवंटन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 पेस्टीसाईड की दुकान करता है जो सद्भाविक कृषक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को वरीयता तय करते समय व आवंटन करते समय किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया व सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर अमल में लाई गई है। प्रार्थी ने दिनांक 05–04–2017 को आवंटन अधिकारी के कार्यालय में आवंटन बाबत् जानकारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किये जाने के बारे में मालूम हुआ। प्रार्थी का जीवन निर्वाह कृषि भूमि पर आधारित है तथा प्रार्थी के पास आमदनी का अन्य कोई साधन नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक व वरीयता निर्धारण करने की कोई प्रक्रिया भी नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन कराया है परंतु उनके द्वारा यह मानते हुए कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है, जबकि प्रार्थी ने इस संबंध में पर्याप्त दस्तावेजात पेश किये थे किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त दस्तावेजात को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किये गये है। एक आरे अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में आवेदन वर्ष 2007 का किया जाना बता रहे है और वहीं अपीलीय न्यायालय अप्रार्थी को हुआ आवंटन वर्ष 1993 का बता रहे है जो अपने आप में पूर्ण विभेद रखते है एवं यह स्पष्ट करते	

है कि प्रकरण में कई जगह कई प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक स्थितियों को छिपाया गया है। प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ विपक्षीगण के निवास व उसके द्वारा ग्राम दुधवाखारा जिला चुरू में धारित भूमि संबंधी दस्तावेजात पेश कर इन्हें अभिलेख पर लिया जाने की प्रार्थना की गई।

5– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी शिवकुमार द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन सन् 1993 में कर दिया था। तत्समय अप्रार्थी के पिता गोपालराम जीवित होने से समस्त भूमि गोपालराम के नाम दर्ज चली आ रही थी और शिवकुमार के नाम कोई खातेदारी भूमि दर्ज नहीं थी। अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है तथा शिवकुमार ने अपने आवेदन में उसके नाम कोई भूमि नहीं होने का अंकन स्पष्ट तौर पर किया। अप्रार्थी संख्या–1 के आवेदन के पश्चात् उसके पिता का स्वर्गवास हुआ है, इसलिये अप्रार्थी ने कोई तथ्य नहीं छिपाये थे। अप्रार्थी संख्या 1 विधिनुसार 46 बीघा 10 बिस्वा अन कमाण्ड भूमि अथवा 23 बीघा कमाण्ड भूमि लेने का अधिकारी बनता है और नियमानुसार भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की विधानसभा व वोटर लिस्ट चुरू की दर्शित कर उसकी प्राथमिकता को गलत आंकने का हवाला देना बताया है। वास्तव में अप्रार्थी शिवकुमार के पिता गोपाल राम चुरू में रहते है जबकि शिवकुमार बचपन से ही अपने नाना के यहां रह रहा है जिसकी वोटर लिस्ट भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई, जिसका हवाला आवंटन आदेश में दिया हुआ है जिसके तहत् शिवकुमार की मतदाता सूची 1971, 1974, 1990 व 2014 1 डीएलएसएम की प्रस्तुत की है, पूर्व में यह क्षेत्र लूणकरणसर तहसील में आता था बाद में नई तहसील बन जाने से यह छतरगढ़ तहसील क्षेत्र में आ गया। यह भी कथन किये है कि पुराने समय में कम्प्यूटर नहीं होने से एक से अधिक स्थान पर वोटर लिस्ट बन जाती थी। वास्तविकता में अप्रार्थी की वोटर लिस्ट जो 1 डीएलएसएम की प्रस्तुत की है वह प्रार्थी के निवास को साबित करती है इसलिये अप्रार्थी शिवकुमार वर्ष 1996 के पहले से थाना क्षेत्र छतरगढ़ का मूल निवासी है। इसके विपरीत जो चुरू जिले की वोटर लिस्ट प्रस्तुत की गई है वह पिता व अप्रार्थी के भाईयों द्वारा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लेने से अप्रार्थी के जो दो जगह वोट बनना तो साबित करता है किन्तु यह साबित नहीं करता है कि अप्रार्थी 1 डीएलएसएम में निवास नहीं कर रहा है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अप्रार्थी के निवास को गलत साबित नहीं करते है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन पत्रावली पर अपने निवास स्थान के संबंध में विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी ने रिबटल में जमाबंदी पेश की जिसे अनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो./2021/901/बीकानेर** **निगरानी/कोलो./2021/902/बीकानेर** **खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपालराम की संपत्ति का 9वां हिस्सा शिवकुमार के नाम दर्ज है जो स्पष्ट करता है कि शिवकुमार को अपने पिता से 1/9 भाग प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की प्रथम वरीयता का निर्धारण किया गया एवं दिनांक 29-01-1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 ने राशि भी राजकोष में जमा करवा दी गई। वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 सद्भावी कृषक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसे सारहीन पाते हुए उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-11-2016 को यथावत रखा गया है। निगरानीधीन निर्णय समवर्ती निर्णय है तथा प्रार्थी ने पुनः उक्त तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी पेश की है तथा पुनः आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी संख्या 1 की मतदाता सूची व जमाबंदी की प्रतियां पेश की है, जबकि उक्त तथ्यों का अवधारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर नहीं लेने एवं निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। 6- उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित होकर लोक दस्तावेज की श्रेणी में आने के कारण एवं प्रकरण से सुसंगत व आवश्यक प्रतीत होने से इन्हें अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। 7- प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत् चक 1 डीएलएसएम मु.न. 96/36 रकबा 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि तहसील छतरगढ़ के आवंटन हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र पेश किये जिनकी जांच उपरांत तुलनात्मक विवरण स्वयं के धारण की भूमि व आवेदित रकबा की मूल पंचायत/ग्राम पंचायत के आधार पर तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में अप्रार्थी शिवकुमार की धारण की भूमि भूमिहीन ग्राम पंचायत दामोलाई व प्रार्थी खादम हुसैन की धारण की भूमि 6 बीघा ग्राम पंचायत दामोलाई व अप्रार्थी संख्या 2 नारायण सिंह के धारण की भूमि 20 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पंचायत दामोलाई अंकित करते हुए विधिनुसार आवंटन नियम 7 के अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 को प्राथमिकता क्रमांक 1 पर एवं प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो./2021/901/बीकानेर** **निगरानी/कोलो./2021/902/बीकानेर** **खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खादम हुसैन को प्राथमिक क्रमांक 2 पर व शेष अप्रार्थी संख्या–3 नारायण सिंह को प्राथमिकता क्रमांक 3 पर रखते हुए अप्रार्थी संख्या–1 का आवेदन स्वीकार करते हए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश दिनांक 29–11–2016 को पारित कर दिया। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा 35 प्रतिशत राशि अर्थात् 88594/– रूपये राजकोष में जरिये चालान संख्या 0013897721 दिनांक 30–11–2016 को जमा करवाये जा चुके है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा चक 1 डीएलएसएम मु.न. 93/36 किला नं. 1 से 25 अनकमाण्ड भूमि का विशेष आवंटन आदेश क्रमांक एसडीओ/छतरगढ/आवंटन/2017/498 दिनांक 03–03–2017 को अप्रार्थी शिवकुमार के पक्ष में कर दिया गया। 8– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 शिवकुमार ने प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु आवेदन 28–12–1993 को आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया जिसे दर्ज रजिस्टर करते हुए पत्रावली साक्ष्य सबूत हेतु नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी कृषक होने की रिपोर्ट व निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उत्तर) बीकानेर द्वारा विधानसभा लूणकरणसर के प्रफोर्मा–ए व शपथ पत्र पेश किये गये तथा पुलिस थाना छतरगढ़ द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 चक 1 डीएलएसएम तहसील लूणकरणसर का मूल निवासी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन में भी उक्त पते का वर्णन किया है। उक्त दस्तावेजात लोक दस्तावेजात है जिन पर ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त समस्त दस्तावेजों की जांच किये जाने के उपरांत उसे विशेष आवंटन हेतु पात्र पाया गया तथा आवंटन नियम 1975 के नियम 13(क) (4) के तहत् आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29–1–1999 में आवंटन की अभिशंषा की है। हालांकि उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 29–11–2016 में आवेदन वर्ष 2007 के होने बाबत् अंकन है किन्तु पत्रावली पर यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–1 शिवकुमार द्वारा वर्ष 1993 में आवेदन किया गया तथा उक्त आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तत्समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वरीयता कायम करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की प्रथम वरीयता मानते हुए दिनांक 29–1–1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जा चुके थे, परंतु वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन से राजस्व में विलय होने के कारण तत्समय अप्रार्थी संख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / कोलो. / 2021 / 901 / बीकानेर** **निगरानी / कोलो. / 2021 / 902 / बीकानेर** **खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1 के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा दिनांक 29–11–2016 को पुनः वरीयता निर्धारित करते हुए अप्रार्थी संख्या–1 शिवकुमार को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश दिये गये जिसे राजकोष में जमा करवाने के उपरांत आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 03–03–2017 को पारित कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 शिवकुमार द्वारा आवेदन के पैरा संख्या–6 में अपने व कुटुम्ब के सदस्य यथा गिणेशी (पत्नी), विक्रम व महेन्द्र (पुत्र) एवं चित्रा व सुमन (पुत्रियां) का विवरण दिया गया है, किन्तु इसमें अप्रार्थी के पिता गोपालराम का नाम वर्णित नहीं है। प्रार्थी ने तत्समय अप्रार्थी शिवकुमार अथवा उक्त सदस्यों के नाम दर्ज भूमि बाबत् कोई अभिलेख पेश नहीं किया है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का यह कथन तर्कसंगत प्रतीत होता है कि बरवक्त आवेदन प्रार्थी के नाम कोई भूमि नहीं थी तथा उसके पिता गोपालराम के जीवित होने से समस्त भूमि उनके नाम दर्ज रही तथा अप्रार्थी भूमिहीन था। अप्रार्थी संख्या 1 ने बरवक्त आवेदन अपने निवास के संबंध में मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट व पुलिस जांच रिपोर्ट भी पेश की जिससे यह दर्शित होता है कि प्रार्थी लूणकरणसर तहसील 1 डीएलएसएम का निवासी रहा तथा कालांतर में उक्त क्षेत्र छतरगढ़ तहसील में आ गया जाने से अप्रार्थी शिवकुमार थाना क्षेत्र छतरगढ़ का मूल निवासी रहा। इससे अप्रार्थी संख्या–1 के उक्त कथन भी तर्कसंगत प्रतीत होते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची में उसके पिता व भाईयों द्वारा नाम दर्ज करवा दिया गया जिससे अप्रार्थी के दो जगह वोट बनना तो साबित करता है किन्तु अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के खण्डन स्वरूप यह तथ्य स्पष्ट तौर पर प्रमाणित नहीं होता है कि प्रार्थी चक 1 डीएलएसएम में निवास नहीं कर रहा है। अप्रार्थी शिवकुमार ने आवंटन पत्रावली के साथ अपने निवास स्थान के संबंध में विधिवत दस्तावेज पेश किये तथा बाद जांच विधिनुसार प्रक्रिया के तहत् प्रश्नगत भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे विधिनुसार अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में किये गये आवंटन को शून्य अथवा अवैध ठहराया जा सके। चूंकि निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समान निष्कर्षों पर आधारित है। हमारे विनम्र मत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में ऐसी कोई गंभीर विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / कोलो. / 2021 / 901 / बीकानेर** **निगरानी / कोलो. / 2021 / 902 / बीकानेर** **खादम हुसैन बनाम शिवकुमार वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिकायें सारहीन होने से खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (केसर लाल मीणा) सदस्य	